पंचम F C. MoM

Rajsthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No. -0744-2473903 Fax No. 0744-2473033

क्रमांक : एफ/(3)/लेखा/V वि.स./11/ दिनांक

.....
वित्त समिति
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।

विषय : वित्त समिति की पंचम बैठक दिनांक 07 मार्च, 2011 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की वित्त समिति की पंचम बैठक दिनांक 07 मार्च, 2011 को कुलपति सचिवालय सभा भवन में आयोजित की गई थी। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

भवदीय

Sd/-
वित्त अधिकारी एवं सदस्य सचिव,
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।

क्रमांक : एफ/(3)/लेखा/V वि.स./11/15870-75 दिनांक 16/3/11

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2 प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3 निदेशक (विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी महाविद्यालय) आर टी यू कोटा।
4 लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, आर.टी.यू. कोटा।
5 निजी सहायक माननीय कुलपति महोदय
6 कुलसचिव, आर.टी.यू. कोटा को प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु।

वित्त अधिकारी
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No.-0744-2473903 Fax No. 0744-2473033, e-mail ID financeofficerrtu@gmail.com

पंचम वित्त समिति दिनांक 7 मार्च 2011 की मिटिंग का कार्यवाही विवरण एवं उपस्थित सदस्यों की सूचि।

1	प्रो. आर. पी. यादव कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	अध्यक्ष
2	श्री डी.आर. मीणा (प्रतिनिधि) प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर।	सदस्य
3	श्री अम्बरीश मेहता कुलसचिव राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
4	प्रो. अनिल के. माथुर परीक्षा नियंत्रक राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा।	सदस्य
5	श्री पदमचन्द वित्त अधिकारी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा	सदस्य सचिव

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No.-0744-2473903 Fax No. 0744-2473033

पंचम वित्त समिति की बैठक दिनांक 07.03.2011 का कार्यवाही विवरण

वि.स.क्र. 5.1 : **वित्त समिति की चतुर्थ बैठक का कार्यवाही विवरण :–**

चतुर्थ वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण जो कि पत्रांक F/(3)Accounts/IVFC/10/26-38 दिनांक 03.04.2010 द्वारा प्रसारित किया गया, परिशिष्ट–1 पृष्ठ संख्या 15 से 22 पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया।

कार्यवाही विवरण का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तृतीय वित्त समिति के बिन्दु संख्या 3.1 के बिन्दु संख्या (i) (ii) (iii) में जिन समितियों का गठन किया गया था उनके द्वारा आज दिनांक तक भी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के कारण समिति द्वारा खेद प्रकट करते हुए यह निर्देश दिये गये कि उक्त समितियां अब दो माह की समयावधि में आवश्यक रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। कार्यवाही विवरण के शेष बिन्दुओं की समिति द्वारा पुष्टि की गई।

वि.स.क्र. 5.2 : विशेष बैठक वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण जो कि पत्रांक F/(3)Accounts/IVFC/10/4118-29 दिनांक 23.06.2010 द्वारा प्रसारित किया गया, परिशिष्ट–2 पृष्ठ संख्या 38 से 39 पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया था।

समिति द्वारा अवलोकन कर पुष्टि की गई।

वि.स.क्र. 5.3 : चतुर्थ वित्त समिति की बैठक दिनांक 30.03.2010 में लिये गये निर्णयों का पालना प्रतिवेदन।

चतुर्थ वित्त समिति की बैठक दिनांक 30.03.2010 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन प्रबंध बोर्ड से दिनांक 31.07.2010 के आइटम नं. 8.7 से होने के उपरांत पालना प्रतिवेदन का अवलोकन कर निम्नानुसार टिप्पणी की गई :–

द्वितीय वित्त समिति के बिन्दु संख्या 2.9, 2.14, 2.15 2.19, एवं 2.21 के लिए गठित समितियों द्वारा अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने को गम्भीरता से लेते हुए समितियों को अन्तिम अवसर देते हुए दो माह में रिपोर्ट माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

वित्त समिति क्रमांक 4.8 के लिए शीघ्र कार्यवाही कर छात्रवृत्ति प्रदान करने वाली संस्था से छात्रवृत्ति का पुनर्भरण करने के निर्देश दिये गये।

वित्त समिति क्रमांक 4.10 के लिए वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश प्रदान किये गये।

वित्त समिति क्रमांक 4.13 में पंजाब नेशनल बैंक से MOU का प्रारूप तैयार करने के लिए कुलसचिव को अधिकृत किया गया तथा माननीय कुलपति के अनुमोदन उपरांत MOU हस्ताक्षर करने के निर्देश प्रदान किये गये।

वि.स.क्र. 5.4 : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की निजी आय एवं व्यय का वर्ष 2011–12 का बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2010–11 के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

चतुर्थ वित्त समिति की बैठक में वर्ष 2010–11 के लिये निर्धारित आय /व्यय के अनुमानों के विरूद्ध वर्ष 2010–11 के संशोधित अनुमानों एवं वर्ष 2011–12 के लिए प्रस्तावित अनुमानों के सारांश का योग निम्नांकित सारणी में प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके विस्तृत विवरण परिशिष्ट 4 पुष्ठ संख्या 53 से 67 पर अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

Rs in Lacs

Sr. No.	Particulars	Income Estimate 2010-11	Income upto January 2011	Revised Income 2010-11	Income Estimate 2011-12
1	Income	3736.04	3587.38	3630.17	3747.90
2	Expenditure	3786.37	2616.96	4691.71	4110.10

सदस्यों द्वारा वर्ष 2010–11 की आय के संशोधित अनुमानों में परीक्षा नियंत्रक के बजट में रू. 600 लाख तथा 2011–12 के अनुमानित बजट में रू. 650 लाख की राशि सम्मिलित करने के निर्देश दिये जाने के

फलस्वरूप वर्ष 2010–11 की संशोधित आय 4230.17 लाख तथा 2011–12 की अनुमानित आय 4397.90 लाख एवं व्यय हेतु वर्ष 2010–11 के लिए 4691.71 एवं वर्ष 2011–12 के लिए 4110.10 लाख के बजट की स्वीकृति प्रदान की गई। वर्ष 2010–11 के व्यय की राशि में राज्य सरकार के निर्देशानुसार सात राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को स्थानान्तरित राशि रू. 14 करोड सम्मिलित होने के कारण आय से व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई।

वि.स.क्र. 5.5 : आयोजना भिन्न बजट वर्ष 2010–11 में स्वीकृत राशि प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय को विश्वविद्यालय की निजी आय से करने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2009–10 में बजट निर्णायक समिति की बैठक के निर्णयानुसार आयोजना भिन्न बजट में संवेतन मद में राशि रूपये 565.00 लाख की राशि स्वीकृत की गयी थी। बजट निर्णायक समिति वर्ष 2010–11 का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट 5 पृष्ठ संख्या 68 से 69 पर उपलब्ध है। स्वीकृत राशि में से राज्य सरकार से अब तक राशि रू. 282.50 लाख प्राप्त हुई है तथा शेष राशि रू. 282.50 लाख की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को मांग पत्र भिजवाया जा चुका है। राज्य सरकार से राशि प्राप्त न होने की स्थिति में संवेतन मद में होने वाला व्यय विश्वविद्यालय की निजी आय से समायोजित किये की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा अवलोकन उपरांत अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 5.6 : आयोजना बजट वर्ष 2010–11 में स्वीकृत राशि प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय को विश्वविद्यालय की निजी आय से करने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 में 112.00 लाख रूपये आयोजना मद में स्वीकृत किये गये थे। बजट निर्णायक समिति वर्ष 2010–11 का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट 5 पृष्ठ संख्या 70 पर उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा आयोजना बजट निर्णायक समिति की बैठक दिनांक 18.01.2011 में आयोजना मद की पुनः निर्धारित राशि रू. 50.00 लाख प्राप्त हो चुकी है। पूर्व में आयोजना मद में स्वीकृत राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में माह जनवरी 2011 तक राशि रू. 58.23 लाख व्यय किया जा चुका है।

अतः अन्तर राशि निजी आय से समायोजित किये की स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा अवलोकन उपरांत अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 5.7 : राज्य सरकार की बजट घोषणानुसार 14 करोड रूपये की राशि सात राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयो को स्थानान्तरण के संबंध में।

तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.22(10)त.शि./2007 दिनांक 06.04.2010 के अनुसार मुख्य मंत्री की बजट घोषणा के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य में अजमेर, भीलवाडा, भरतपुर, बीकानेर एवं झालावाड में संचालित सात राजकीय अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने हेतु प्रत्येक महाविद्यालय को 2 करोड की राशि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के पास उपलब्ध राशि से कराने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्णय प्रबंध मण्डल की सप्तम बैठक दिनांक 04.05.2010 को पारित किया गया तथा राजकीय महाविद्यालयो को उक्त राशि विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध राशि से भुगतान किया जा चुका है।

समिति के सदस्यों द्वारा अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 5.8: विश्वविद्यालय के नये भवन में स्थानान्तरण के फलस्वरूप निदेशक अकादमिक एवं वित्त अधिकारी के कार्यालय हेतु फर्नीचर एवं पीने के स्वच्छ पानी हेतु तीन एक्वागार्ड क्रय बाबत।

विश्वविद्यालय के नये भवन में स्थानान्तरण के फलस्वरूप निदेशक (अकादमिक) एवं वित्त अधिकारी के कार्यालय हेतु फर्नीचर मैसर्स गादेरेज एण्ड बॉयज मेनीफेक्चरर कम्पनी, जयपुर को कार्यालय के पत्रांक RTU/Dir.Acad./Purchase/F17/Furniture/10-11/13011&14 दिनांक 24.01.2011 द्वारा राशि रू. 9,27,469.93 का फर्नीचर (14% VAT Extra) का कार्यादेश पूर्व में राज्य सरकार द्वारा फर्नीचर क्रय की अनुमति में वर्णित शर्तो पर जारी किया गया। इसी प्रकार नये प्रशासनिक भवन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पीने के शुद्ध पानी हेतु मैसर्स यूरेका फॉर्बस के कोटा स्थित कार्यालय से तीन एक्वागार्ड हाईफ्लो वाटर फिल्टर कम प्योरिफायर रू. 28,470/– में क्रय कर स्थापित किये गये है। परिशिष्ट 7 पृष्ठ संख्या 79 से 86 पर क्रय आदेश समिति के अवलोकनार्थ प्रस्तु किये गये।

समिति के सदस्य कुलसचिव द्वारा विशिष्ट मेक के (गोदरेज) फर्नीचर क्रय के लिए राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं होने से इस पर आपत्ती दर्ज कराई, जिसका असहमति पत्र संलग्न है। वित्त अधिकारी द्वारा यह अवगत कराया गया कि विशिष्ट मेक की स्वीकृति पूर्व में पत्र संख्या प.3(2)त.शि./09 दिनांक 09.10.2009 से प्रदान की जा चुकी है। समिति

के सदस्यों ने इस प्रकरण पर राज्य सरकार से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने के निर्देश दिये।

वि.स.क्र. 5.9: खुली निविदाओं में प्राप्त निविदाओं की स्वीकृति समयावधि ।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में खुली एवं सीमित निविदाओं से प्राप्त दरों की स्वीकृति के संबंध में वित्तीय बोली खुलने की तारीख से नीचे दी गयी अवधि तक विधि मान्य है :–

1	क्रय समिति के स्तर पर (विभागाध्यक्ष)	30 दिन
2	विभागीय क्रय समिति के स्तर पर	60 दिन

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में SPC की विभिन्न बैठको में पाया गया है कि निविदाओं मे वित्तीय दर प्राप्त हाने के बाद लम्बे समय तक उनका निस्तारण नहीं किया जाकर पुनः निम्नतम निविदाकार से नेगोशियेसन कर समयावधि बढायी जाती है जो उचित नहीं है। इसके साथ साथ विभिन्न शाखाओं द्वारा पूर्व में जारी निविदाओं की समयावधि में समय समय पर बढ़ोतरी की जाती रही है तथा समयावधि समाप्त होने से पूर्व नयी निविदायें आमन्त्रित करने की कार्यवाही नहीं की जाती है।

अतः विश्वविद्यालय में प्राप्त निविदाओं के निस्तारण हेतु निम्नानुसार समयावधि का निर्धारण किया जाता है तथा यहा प्रस्तावित किया जाता है कि पूर्व में जारी निविदाओं की समयावधि समाप्ति से 90 दिन पूर्व ही नयी निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जावे।

1	रू. 50,000 तक की निविदाएं	30 दिन
2	रू. 50,000 से अधिक किन्तु 10 लाख तक की निविदाएं	45 दिन
3	रू. 10 लाख से अधिक की निविदाएं	60 दिन

विश्वविद्यालय में पूर्व में गठित क्रय समितियों के स्थान पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार परिशिष्ट 8 पृष्ठ संख्या 87 से 88 के अनुसार क्रय समितियों का गठन किया जाना प्रस्तावित है तथा उपरोक्तानुसार समयावधि समाप्ति के पश्चात दरों की स्वीकृति उच्च समिति की सहमति से किया जाना प्रस्तावित है।

समिति के सदस्यों द्वारा खुली निविदाओं के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर राज्य सरकार के वित्त विभाग से सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के सन्दर्भ में मार्गदर्शन प्राप्त करने के निर्देश दिये तथा निर्देश प्राप्त होने तक वर्तमान में गठित समितियों के माध्यम से क्रय किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की।

वि.स.क्र. 5.10: नये विश्वविद्यालय परिसर में वाटर कूलर, कूलर एवं जेरोक्स मशीन/फेक्स मशीन क्रय किये जाने बाबत।

विश्वविद्यालय के नये प्रशासनिक भवन में स्थानान्तरण हो चुका है तथा ग्रीष्म ऋतु आने वाली है। अधिकारियों/कर्मचारियों एवं आगन्तुकों के लिए शीतल जल उपलब्ध कराने हेतु दो वाटर कूलर क्रय किया जाना आवश्यक है जिसके लिए कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी कार्यालय के वर्ष 2011–12 के बजट में प्रावधान रखा गया है। वर्तमान में संस्थान में पर्याप्त मात्रा में कूलर उपलब्ध नहीं है इस कारण नये विश्वविद्यालय परिसर के लिये नये कूलर्स क्रय किया जान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त नये प्रशासनिक भवन में मात्र 1 जेरोक्स मशीन निदेशक अकादमिक के यहां उपलब्ध है। जिससे ही सभी कार्यालयों में जेरोक्स करवाई जाती है जिससे मशीन बार बार गरम होकर खराब हो जाती है अतः कुलसचिव एवं वित्त अधिकारी कार्यालय हेतु एक–एक जेरोक्स/फेक्स मशीन क्रय किये जाने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से सहमति व्यक्त करते हुए सामान्य वित्त एवं लेखा नियमों के अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये।

वि.स.क्र. 5.11 : कार्यालयों के संचालन हेतु मासिक आधार पर वाहन किराये पर लेने के संबंध में।

विश्वविद्यालय में पूर्व में प्रबंध मंडल द्वारा विश्वविद्यालय की गतिविधियों के संचालन हेतु तीन वाहन मासिक किराये के आधार पर लेने की स्वीकृति थी जो कुलसचिव, वित्त अधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक हेतु थी परन्तु निदेशक (अकादमिक) एवं निदेशक (यू.सी.ई.) द्वारा भी कार्यालय उपयोग हेतु एक–एक वाहन किराये पर ले रखा है जिसके लिए कुलपति महोदय द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। अतः तीन के स्थान पर पांच वाहन किराये पर लेने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई।

वि.स.क्र. 5.12 : विभिन्न विभागों के लिए बजट के संबंध में।

वर्तमान में संघटक महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के लिए बजट निदेशक (यू.सी.ई.) को आवंटित किया जाता है। जिन्हें उनके द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में विभागाध्यक्षों में पुनः आंवटित न किया जाकर विभिन्न विभागों से प्राप्त मांग पत्रों पर अंकित किया जाता है। जिसके कारण सभी विभागों को Furniture & Office Equipment, Conference Workshop etc., I.T. Information (Computer Hardware & Software), Machinery Equipment की आवंटित बजट की जानकारी नहीं होने के कारण इन मदों में व्यय नहीं किया जाता है तथा संशोधित अनुमानों में राशि Surrender करनी पड़ती है।

अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि बजट आंवटन होने के पश्चात निदेशक (यू.सी.ई.) सभी विभागो को आवंटित कर सूचना माननीय कुलपति एवं वित्त अधिकारी को भिजवायेंगे।

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी वर्ष से लागू (वर्ष 2011–12) करने का निर्णय लिया गया।

वि.स.क्र. 5.13 : संकाय उन्नयन योजना (FDP) के अन्तर्गत योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों में आयी गिरावट को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा राज्य के विभिन्न अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक संवर्ग के कार्मिकों हेतु लघु अवधि (3 व 5 दिवस) कार्यक्रम स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है जिसमें तीन दिवसीय कार्यक्रम हेतु 2500/– रू. व पांच दिवसीय कार्यक्रम हेतु 3500/– रू. पंजियन शुल्क रखा गया है तथा कार्यक्रम पर होने वाले व्यय का प्रस्ताव समन्वयक द्वारा प्रंस्तुत किया गया है जो परिशिष्ट 9 पृष्ठ संख्या 89 से 94 पर माननीय सदस्यों के अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित योजना के नियमों का अवलोकन कर निर्धारित किये गये पंजीयन शुल्क से प्राप्त राशि एवं प्रस्तावित दरों के अनुसार व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई।

वि.स.क्र. 5.14 : कर्मचारी कल्याण कोष (SWF) के उपयोग हेतु नियमों के सन्दर्भ में।

विश्वविद्यालय के परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की वीक्षण शुल्क के भुगतान में से 5% राशि कर्मचारी कल्याण कोष (SWF) अन्तर्गत काटी जाती है जो वर्तमान में विश्वविद्यालय के लेखों में कर्मचारी कल्याण कोष में जमा की जा रही है। इस राशि के उपयोग हेतु श्री प्रवीण भंडारी, सदस्य सचिव द्वारा नियमों का प्रारूप तैयार कर प्रेषित किया गया है जो परिशिष्ट 10 पुष्ठ संख्या 95 से 97 पर माननीय सदस्यों के अवलोकन एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति के सदस्यों द्वारा अवलोकन कर सहमति व्यक्त की गई।

Tabel Agenda

समिति की बैठक के दौरान उक्त ऐजेण्डा के बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्नांकित बिन्दुओं पर भी चर्चा की गई :–

टेबल एजेण्डा वि.स.5.1

एम.टेक. (फुल टाइम कोर्स) हेतु विभागाध्यक्ष मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा गेस्ट फेकल्टी के लिए निम्नानुसार दरें प्रस्तावित की है क्योंकि उक्त दरों के अनुसार एम.बी.ए. (फुल टाइम कोर्स) में भुगतान किया जा रहा है :–

1	व्याख्यान	रू. 500/– प्रति घंटा रू. 100 वाहन भत्ता
2	ट्यूटोरियल एवं लेब के लिए	रू. 250/– प्रति घंटा रू. 100 वाहन भत्ता

एम.टेक. (फुल टाइम कोर्स) के लिए समिति के लिए प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा कर यह निर्णय लिया गया कि विशेष परिस्थितियों में माननीय कुलपति की पूर्वानुमति के बाद ही व्याख्यान (लेक्चर) हेतु **Guest Faculty** लगाई जाने की अनुमति देते हुए क्रम संख्या 1 में वर्णित दरों का अनुमोदन किया गया।

टेबल एजेण्डा वि.स.5.2

डी.आर.सी. व रिसर्च बोर्ड की बैठकों में भाग लेने हेतु बाहरी सदस्यों के मानदेय व वाहन भत्ता दिये जाने हेतु डीन रिसर्च द्वारा बोनस व एकेडमिक काउन्सलिंग के सदस्यों के समान मानदेय व वाहन भत्ता दिये जाने की अनुशंसा हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति के सदस्यो द्वारा प्रस्ताव पर विचार कर निर्णय लिया गया कि डी.आर.सी. व रिसर्च बोर्ड की बैठकों में भाग लेने हेतु बाहरी सदस्यों को एकेडमिक काउंसलि के लिए पूर्व में स्वीकृत दर अनुसार रू. 700/– मानदेय दिया जावे तथा राज. यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता देय होगा।

टेबल एजेण्डा वि.स. 5.3

परीक्षा परिणामों के घोषित करने में विलम्ब के मध्यनजर रखते हुए उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं पुर्नमूल्यांकन के लिए केन्द्रीकृत प्रणाली लागू किये जाने का निर्णय लिया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक Exam-II/PF Engg/2009/5492-5507 Dated 10.08.2009 से जारी कार्यालय आदेश के अनुसार शैक्षणिक, अशैक्षणिक एवं लेखा शाखा के कर्मचारियों की समितियां बनायी जाकर उक्त पत्र में वर्णित मानदेय की दरों से भुगतान किये जाने हेतु परीक्षा नियंत्रक द्वारा अभिशंषा की गयी है। राज. विश्वविद्यालय के उक्त आदेश की छाया प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।
समिति के सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि तीन सदस्यों की एक समिति बनाई जावे जिसमें परीक्षा नियंत्रक को समन्वयक, वित्त अधिकारी एवं कुलसचिव को सदस्य बनाया जावे जो

प्रस्तुत प्रस्ताव की समीक्षा कर एक सप्ताह में माननीय कुलपति महोदय को रिपोर्ट प्रस्तुत कर अनुमोदन कराये जाने की शर्त पर सहमति प्रदान की गई। प्रारम्भ में प्रस्तुत प्रस्ताव का क्रियान्वयन परीक्षण के तौर पर पुनर्मूल्यांकन, एम.बी.ए. एवं एम.सी.ए. की परीक्षाओं के लिए किया जाये तथा इसके परिणामों के परिप्रेक्ष्य में इस पद्धति को स्नातक अभियांत्रिकी परीक्षाओं पर लागू किया जावे।

टेबल एजेण्डा वि.स. 5.4

माननीय कुलपति द्वारा बैठक के दौरान Advance Material Science एवं Energy & Environment Technology में एम.टेक., पी. एच. डी. के विद्यार्थियों हेतु दो नये सेंटर स्थापित करने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये एवं नये सेंटरों की स्थापना के लिए प्रस्तावित उपकरणों के क्रय हेतु वर्ष 2011–12 में संलग्न सूचि के अनुसार रू. 1.64 करोड की राशि के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये।

समिति द्वारा उक्त प्रस्तावों के परीक्षण के लिए एक समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया। जिसमें श्री ओ. पी. छंगानी, प्रतिकुलपति को समन्वयक, श्री अनिल के. माथुर को सदस्य सचिव एवं कुलसचिव, श्री अम्बरीश मेहता एवं वित्त अधिकारी, श्री पदमचंद को सदस्य मनोनीत किया गया। यह समिति उक्त प्रस्ताव का परीक्षण कर सात दिवस में रिपोर्ट माननीय कुलपति महोदय को प्रस्तुत करेगी, तत्पश्चात वर्ष 2011–12 के लिए आवंटित बजट सीमा के अन्तर्गत उपकरण क्रय हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

(पदमचन्द)
वित्त अधिकारी एवं सदस्य सचिव

(डी.आर. मीणा)
प्रतिनिधि
वित्त विभाग

(प्रो. आर.पी. यादव)
कुलपति एवं अध्यक्ष

(अम्बरीश मेहता)
कुलसचिव

(प्रो. अनिल के. माथुर)
परीक्षा नियन्त्रक

वित्त समिति में यह बिन्दु माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ रखा है। इस पर अधोहस्ताक्षरकर्ता की असहमति निम्न बिन्दुओं के आधार पर दर्ज की जावेः

1. किसी भी विशिष्ठि मेक कम्पनी का फर्नीचर राज्य सरकार की पूर्व सक्षम स्वीकृति के पश्चात ही क्रय किया जाना चाहिये। वर्तमान में क्रय किये गये फर्नीचर के प्रकरण में राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही क्रय किया गया है। गत वर्ष भी विशिष्ठ मेक का फर्नीचर मैसस गोदरेज से क्रय किया था जिसकी तत्समय राज्य सरकार से पूर्व स्वीकृत प्राप्त की गई थी। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण पर किया गया व्यय अनियमित होने से समिति के माध्यम से स्वीकृत होने योग्य नहीं है। फर्नीचर क्रय करने से पूर्व राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक था।
2. इसी तरह फर्नीचर क्रय करने से पूर्व राज्य सरकार, विश्वविद्यालय की वित समिति एवं प्रबंध मण्डल से पूर्व अनुमति लेनी चाहिये थी, जो नहीं ली गई है और निदेशक अकादमिक द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए क्रय किया गया है। अतः बिन्दु स्वीकृति योग्य नहीं है।
3. वर्तमान में त्रि–स्तरीय समिति गठित है। 10 लाख रूपये से अधिक के प्रकरण एच.पी.सी. मे ही रखे जाने चाहिये थे परन्तु निदेशक अकादमिक द्वारा कय मूल्य में टेक्स नहीं जोड़ कर 10 लाख से कम दर्शाते हुए एच.पी.सी. में नहीं रख कर भी नियमों का उल्लंघन करते हुए फर्नीचर क्रय किया गया है, भी जांच योग्य है।
4. वर्तमान में पूर्व में 80 लाख रूपये की खरीदा गये फर्नीचर में से भी काफी आ–आवंटित रूप से रखा हुआ है जिसका कि उपयोग नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रथमतः उस फर्नीचर को उपयोग में लेना चाहिए था तत्पश्चात ही नया फर्नीचर क्रय करने के लिए नियमानुकूल प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये थी।
5. फर्नीचर क्रय करने से पूर्व किसी तरह का एम.ओ.यू. फर्म एवं विश्वविद्यालय के मध्य नहीं किया गया यह भी एक अनियमितता निदेशक अकादमिक द्वारा स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है।
6. पूर्व में 90 लाख रूपये का विशिष्ठ मेक का फर्नीचर मैसर्स गोदरेज कम्पनी से क्रय किया गया था तत्समय कम्पनी से नेगोसिएशन करते हुए 2 लाख रूपये का अतिरिक्त फर्नीचर विश्वविद्यालय के लिए प्राप्त किया गया था। वर्तमान में क्रय किये गये फर्नीचर में न तो फर्म से नेगोसिएशन किया गया है ना अनुपातिक राशि का फर्नीचर विश्वविद्यालय के लिए प्राप्त किया गया है। फलस्वरूप विश्वविद्यालय को वर्तमान में किये गये फर्नीचर की क्रय राशि की अनुपातिक राशि का लाभ नहीं मिल सका है। अतः यह बिन्दु पर भी जांच करवाया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त वर्णित बिन्दुओं के आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता की वित्त समिति के बिन्दु क्रमांक 5.8. पर असहमति दर्ज की जावे एवं प्रकरण की जांच करवाया जाना प्रस्तावित है।